

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड चित्तौड़गढ़

क्रमांक / 2017-18 /

दिनांक -

रेन का नाका लघु सिंचाई परियोजना

जन सुनवाई बैठक सूचना

रेन का नाका लघु सिंचाई परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही हेतु सामाजिक समाघात प्रभाव (एस.आई.ए.) अध्ययन संस्था सेन्टर फॉर डवलपमेन्ट कम्यूनिकेशन एवं स्टडीज(सीडीईसीएस), जयपुर द्वारा किया गया है। इसकी ड्राफ्ट प्रतिवेदन विभाग को प्राप्त हो चुकी है।

इस परियोजना में निम्बाहेड़ा उपखण्ड के ग्राम पीलखेड़ी व लुणखन्दा शामिल है जिसमें इन ग्रामों के खातेदारों की भूमि अधिग्रहण की जानी है।

राजस्थान भूमि अर्जन पुर्नवास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के नियम 2015 अनुसार ड्राफ्ट एस.आई.ए. प्रतिवेदन पर जन सुनवाई श्रीमान भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा की अध्यक्षता में की जानी है जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. स.	गांव/ग्रा.प.	दिनांक	समय	स्थान
1	पीलखेड़ी/सरसी	16.01.2018	प्रातः 11.00 बजे	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पीलखेड़ी
2	लुणखन्दा/मेलाना	16.01.2018	दोपहर 1.00 बजे	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, लुणखन्दा

(लखन लाल गुप्ता)
अधिशाषी अभियन्ता

जल संसाधन खण्ड चित्तौड़गढ़
दिनांक - 20/12/2017

क्रमांक / 2017-18 / 6795-6803

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़।
2. श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, आई.डी.एण्ड आर. जे.एल.एन.मार्ग, सिंचाई भवन, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त बैठक सूचना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
3. श्रीमान भूमि अवाप्ति एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा।
4. सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड निम्बाहेड़ा।
5. डॉ. उपेन्द्र के. सिंह, मुख्य कार्यकारी सह सदस्य सचिव, सेन्टर फॉर डवलपमेन्ट कम्यूनिकेशन एवं स्टडीज(सीडीईसीएस), 133,(फर्स्ट फ्लोर), देवी नगर, नन्नु मार्ग, न्यु सांगानेर रोड़, सोड़ाला, जयपुर।
6. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
7. विकास अधिकारी पंचायत समिति निम्बाहेड़ा।
8. संरपच/सचिव ग्राम पंचायत सरसी एवं मेलाना।
9. नोटिस बोर्ड ग्राम पीलखेड़ी एवं लुणखन्दा।

अधिशाषी अभियन्ता

जल संसाधन खण्ड चित्तौड़गढ़